

# घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,तर्ष 22, अंक - 297- रविवार 30- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

## साक्षि समाचार

प्रयागराज में भारी बारिश के बीच स्वामीनारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा गिराकर गिरा



**प्रयागराज, 29 अगस्त 2026।** उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार रहे हवी भारी बारिश के बीच बड़ा हदसा टल गया। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। मंदिर का हिस्सा गिरने के दौरान तेज आवाज हुई, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना रात के समय हुई और उस वक्त मंदिर के श्रद्धिग्रस्त हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। इसके चलते हदसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि मंदिर का जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है, उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धर्मशाला के तौर पर किया जाता था। यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालु ठहरते थे। खासकर दक्षिण भारत से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था इस हिस्से में की जाती थी। मंदिर के सुरक्षा गार्ड सुबेदार सिंह के मुताबिक, स्वामीनारायण मंदिर के कपी कम्युनिटी सेंटर के सामने जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में स्थित है। यहां गेजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मंदिर के पास एक इमारत के निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था।

**मध्यप्रदेश के महाकाल मंदिर को सावन में शीघ्र दर्शन से हुई 14.22 करोड़ की आय**  
**भोपाल, 29 अगस्त 2026।** मध्य प्रदेश में इस वर्ष श्रावण मास के दौरान उज्जैन जिला स्थित विष्णु प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। एक माह के दौरान भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहली बार डेढ़ करोड़ के पार दर्ज किया गया है। मंदिर समिति को इस दौरान शीघ्र दर्शन टिकटों और लड्डू प्रसादी की बिक्री से करोड़ों रुपये की रिकॉर्ड आय प्राप्त हुई है। खगोलशास्त्र श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, श्रावण मास में कुल 1 करोड़ 53 लाख 75 हजार श्रद्धालु महाकाल की शरण में पहुंचे, जो वर्ष 2025 में दर्ज 72 लाख श्रद्धालुओं की तुलना में दोगुनी से भी अधिक संख्या है।

**राहुल गांधी ने प्रोजेक्टर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण दिखाया...कहा...**

## हल्द्वानी में उनकी सभा के बाद मंच का शुद्धीकरण हुआ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोषियों पर एक्शन लें

**नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026।** राहुल गांधी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रोजेक्टर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण दिखाया। राहुल ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके भाषण के बाद मंच का शुद्धीकरण किया गया। प्रधानमंत्री दोषियों पर एक्शन लें। दलितों पर सदियों से अत्याचार हो रहा है। देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ना है।

### हट जगह दलितों का अपमान

हजारों साल से इस देश में दलितों पर अत्याचार, हिंसा की गई है। संविधान में यह गैरकानूनी है। लेकिन आज भी स्कूल में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाता है। झाड़ू-पोछा लगवाया जाता है। यह हिंदुस्तान की रीतिरिवाज है। कई गांवों में उन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, इसलिए अलग कुआं खोदना पड़ता है। चाय की दुकानों पर अलग-अलग कप रखे जाते हैं- दलितों के लिए अलग, बाकी लोगों के लिए अलग। शादी जैसे खुशी के मौके पर भी दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। कई बार पत्थरबाजी और मारपीट तक होती है। कुछ लोग सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बारात निकालते हैं। यह सिर्फ गांवों की नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों की हकीकत है।

## रसोई का बजट बिगड़ा...प्याज 80 रुपये के पार

**नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026।** रसोई में इस्तेमाल होने वाला प्याज एक बार फिर आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल रहा है। देश के कुछ हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। कई बाजारों में इसका भार 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की खबर है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने, कम कीमत पर बिक्री करने और कांदा एक्सप्रेस के



जरिए बड़े उपभोक्ता बाजारों तक आपूर्ति बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि, इसके बावजूद कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर प्याज खरीदना पड़ रहा है। प्याज की कीमतों को लेकर अलग-

अलग बाजारों से सामने आ रहे आंकड़ों के बीच सरकारी आंकड़े कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 28 अगस्त को देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 37.87 रुपये प्रति किलो था। इसका मतलब है कि 80 रुपये प्रति किलो की कीमत पूरे देश का औसत भाव नहीं है। यह कीमत कुछ विशेष इलाकों और बाजारों में दर्ज की जा रही है, जहां स्थानीय स्तर पर आपूर्ति और मांग का असर अधिक है।



### बाढ़ ने प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर सवाल उठाए

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन, हिमस्खलन और ग्लेशियल झील फटने जैसी घटनाओं का खतरा रहता है। जलवायु परिवर्तन के साथ इन जोखिमों के बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बाढ़ के बाद अब सवाल उठ रहा है कि नेपाल में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाए जाएं और उन्हें ऐसे प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए किस तरह डिजाइन किया जाए। विशेषज्ञ छोटे प्रोजेक्टों की मजबूती और बड़े जलाशयों की जरूरत पर भी चर्चा कर रहे हैं।

### नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरी बीच पर खास संदेश

ओडिशा के पुरी बीच पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नेपाल बाढ़ के पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने नेपाली झंडे और प्रे फॉर नेपाल' संदेश के साथ रेत की कलाकृति बनाकर प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की।

## Everest हींग की बिक्री पर लगी रोक, गरम मसाला और चिकन मसाला भी जांच के घेरे में

**नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026।** FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दो बड़े मसाला ब्रांड्स एवरेस्ट और लालजी गोधू के कम्पाउंडेड हींग पर बिक्री रोकने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला दोनों कंपनियों के हींग के सैंपल जांच में मानकों से नीचे पाए जाने के बाद लिया गया है। एजेंसी ने साफ किया है कि यह बैन सिर्फ हींग प्रोडक्ट्स पर लागू है और इन कंपनियों के अंडा करी मसाला, चिकन करी मसाला या गरम मसाला जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पर कोई रोक नहीं है। यह जांच एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद पूरे बाजार में मौजूद हींग ब्रांड्स की जांच की गई मामले की शुरुआत तब हुई जब एक ग्राहक ने किसी खास ब्रांड की हींग की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सफ़ट्ट ने बाजार में मौजूद सभी बड़े हींग ब्रांड्स की जांच शुरू की। शुरुआती लैब रिपोर्ट में सामने आया कि एवरेस्ट और लालजी गोधू, दोनों कंपनियों के कम्पाउंडेड हींग तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद मुंबई में स्थित इन दोनों कंपनियों की सेंट्रल लाइसेंस वाली यूनिट्स से सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। इतना ही नहीं, गुजरात के उम्बरागांव में एवरेस्ट की एक और यूनिट पर गुजरात राज्य के खाद्य विभाग के साथ मिलकर सैंपलिंग की गई। जांच में सभी हींग सैंपल घटिया गुणवत्ता के पाए गए। नियमों के मुताबिक कम्पाउंडेड हींग बनाने के लिए असली



हींग को गॉड,स्टार्च और आटे के साथ मिलाया जाता है, लेकिन इसमें कम से कम 5 प्रतिशत अल्कोहल सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट होना जरूरी है। जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स में यह मात्रा सिर्फ 0 से 3 प्रतिशत ही थी, यानी असली हींग तय मात्रा से करीब 30 से 40 प्रतिशत कम मिलाई जा रही थी। इसके अलावा लालजी गोधू की यूनिट से ली गई असली हींग की छह किस्मों की भी जांच हुई। नियम के अनुसार असली हींग में स्टार्च की मात्रा 15 से 32 प्रतिशत तक पाई गई, जो तय सीमा से कहीं ज्यादा है। इन गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए FSSAI ने दोनों कंपनियों पर बिक्री प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए एक एव्हिंतायती कार्रवाई है।

## पैकेट वाले खाने पर दिखेगा लाल निशान... ज्यादा चीनी-नमक और फैट पर मिलेगी चेतावनी

**नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026।** पैकड फूड खाने वालों के लिए आने वाले दिनों में पैकेट की फ्रंट साइड पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ज्यादा चीनी, सेंचुरेटेड फैट और नमक वाले पैकड फूड प्रोडक्ट्स पर लाल रंग का फटकोणीय चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए हलफनामे में रखा है। यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें हाई शुगर, हाई फैट और हाई सॉल्ट वाले पैकड फूड पर पैकेट के सामने अनिवार्य चेतावनी लेबल लगाने की मांग की गई थी।

### पैकेट के सामने दिखेगा लाल चेतावनी लेबल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के छह पन्नों के हलफनामे के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में उन पैकड फूड प्रोडक्ट्स पर लाल रंग का छह-कोने वाला चेतावनी चिह्न लगाया जाएगा, जिनमें तय सीमा से ज्यादा मात्रा में एडेड सेंचुरेटेड फैट, एडेड शुगर और नमक में से दो या उससे अधिक पोषक तत्व मौजूद होंगे। इन



पोषक तत्वों की सीमा आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ओर से जारी 'भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश, 2024' के आधार पर तय की जाएगी।

**ग्राहकों को सीधे मिलेगी पोषण संबंधी चेतावनी :** प्रस्तावित लेबल में उत्पाद के हिसाब से 'ज्यादा फैट', 'ज्यादा चीनी', 'ज्यादा नमक' और 'बहुत ज्यादा मीठा पेय' जैसी चेतावनियां दिखाई जा सकती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चेतावनी के फॉन्ट को भी प्रमुख रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी का फॉन्ट पैकेट के पीछे मौजूद न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन टेबल में इस्तेमाल किए गए फॉन्ट से एक पॉइंट बड़ा होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

## ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें...पूर्व सीएम पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

**कोलकाता, 29 अगस्त 2026।** पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के छत्र संगठन तुणमूल छत्र परिषद के आयोजकों के खिलाफ हेरिंटिंग्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 28 अगस्त को संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल समर्थकों ने कथित तौर पर बैरिकेड हटा दिए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। इसके अलावा कैथेड्रल रोड पर यातायात भी बाधित हुआ। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम अदालत की ओर से तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी जारी रहा। मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61(2), 223, 125(ए), 132 और 285 के तहत दर्ज किया गया है। तुणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को अपने समर्थकों से राजनीतिक दबाव के आरोप नहीं झुकने और भाजपा में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने अपनी पार्टी की छत्र इकाई तुणमूल कांग्रेस छत्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही सत्ता में वापस आएगी और एक नया राजनीतिक इतिहास



लिखेगी। ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं अपने साथियों से कहती हूँ कि मजबूत और निडर बनें। जेरूत पड़े तो एक महीने तक जेल का खाना खाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण न करें।' उन्होंने पार्टी के युवा समर्थकों से कहा कि तुणमूल कांग्रेस ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जैसे लोग, जो छत्र राजनीति से उत्कर सत्ता तक पहुंचे हैं, उन्हें डराया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही छत्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। विपक्ष और अन्य वर्गों की ओर से लंबे समय से छत्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है।

## रक्षाबंधन की रात बीजेपी नेता की हत्या से मचा हड़कंप

**बरेली, 29 अगस्त 2026।** बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र में रक्षाबंधन की रात पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता सचिन कश्यप की हत्या कर दी गई। वह मध्वनाथ मंडल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। पुलिस के मुताबिक, पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा कलहसूनी हुई, जिसके बाद सचिन पर चाकू से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रक्षाबंधन की रात एक वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। थाना सुभाषनगर क्षेत्र के मध्वनाथ मोहल्ले में माझे वाली बगिया के पास बीजेपी के स्थानीय नेता सचिन कश्यप की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सचिन कश्यप का कुछ स्थानीय लोगों के साथ रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच कलहसूनी और मारपीट हो चुकी थी। उस समय मोहल्ले के सड़क लोगों और परिचितों ने दोनों पक्षों के बीच हस्तक्षेप किया था। बातचीत के बाद माला शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन आरोप है कि पुरानी रंजिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सचिन कश्यप मध्वनाथ मंडल में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उनकी हत्या की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन की रात सचिन कश्यप मध्वनाथ इलाके में माझे वाली बगिया के पास मौजूद थे।



## ताशकंद पहुंचते ही राष्ट्रपति शौकत ने किया मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत स्वतंत्रता स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि

**ताशकंद, 29 अगस्त 2026।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे, जहां राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने उनका गर्मजोशी भरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस स्वागत के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव का आभार जताते हुए कहा कि उज्बेकिस्तान की उनकी यह चौथी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और उनमें लगातार बढ़ती गति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ताशकंद पहुंचने के बाद 'एक्स' पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "ताशकंद पहुंचा, जहां राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। इस विशेष भाव के लिए मैं उनका आभारी हूँ।" उन्होंने उज्बेक भाषा में भी अपने संदेश को साझा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यांगी उज्बेकिस्तान पार्क स्थित स्वतंत्रता स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव भी मौजूद रहे। सैन्य सम्मान के साथ आयोजित औपचारिक समारोह में

प्रधानमंत्री ने स्मारक के समक्ष कुछ क्षण खड़े होकर सम्मान व्यक्त किया। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री की 29-30 अगस्त की उज्बेकिस्तान यात्रा उनकी इस देश की चौथी यात्रा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल संपर्क और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों पक्ष भारत के 'विकसित भारत' और उज्बेकिस्तान के 'यांगी उज्बेकिस्तान' के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे।



## शिक्षकों को नौकरी गंवाने की धमकी,10 हजार की मांग

स्कूल में घुसकर कथित गृ-ट्यूबों का हंगामा,वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप; तीन के खिलाफ एफआईआर

-संवाददाता-

पस्ता,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के पस्ता क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला पुटसू में कथित तौर पर खुद को गृ-ट्यूबर बताते वाले तीन युवकों द्वारा स्कूल परिसर में घुसकर हंगामा करने और शिक्षकों पर दबाव बनाकर 10 हजार की मांग करने का मामला सामने आया है। शिक्षक की शिकायत के अनुसार रकम नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा नौकरी से निलंबित कराने की धमकी दी गई। मामले में पस्ता पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



**पहले से बनाया जा रहा था पैसे के लिए दबाव**

प्रभारी प्रधान पाठक रूकमण बारीक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि श्रवण यादव और दीपक यादव पिछले करीब 8-10 दिनों से एक कथित फाउंडेशन के नाम पर उनसे पैसे देने का दबाव बना रहे थे। शिक्षक द्वारा रकम देने से इनकार करने के बाद विवाद बढ़ गया।

**स्कूल में पहुंचकर बनाया वीडियो,बच्चों के सामने हंगामा**

शिकायत के मुताबिक 25 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 1 बजे श्रवण यादव, दीपक यादव और सूर्या यादव बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने बच्चों और शिक्षक के सामने अभद्र व्यवहार करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्कूल का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ और बच्चों में भी डर का माहौल बन गया।

**10 हजार नहीं दिए तो वायरल करने की धमकी**

शिक्षक का आरोप है कि कथित रूप से 10 हजार देने का दबाव बनाया गया। रकम नहीं देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा शिक्षक को नौकरी से हटवाने अथवा निलंबित कराने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपियों द्वारा वीडियो को कथित तौर पर तोड़-मरोड़कर यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

**पुलिस ने गंभीर घाटाओं में दर्ज किया मामला**

शिकायत के आधार पर पस्ता थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 44/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने दीपक यादव, श्रवण यादव और सूर्या यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 351(2), 308(2), 356(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मामले में आरोपी को वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस वीडियो, शिकायत में लगाए गए आरोपों तथा संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है।

## नवागढ़ शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव की सुविधा शुरू

पहले प्रसव में जट्वा-बच्चा दोनों स्वस्थ,क्षेत्र के लोगों को मिलेगी स्थानीय स्तर पर सुविधा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा की पहल पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में सुरक्षित प्रसव की सुविधा शुरू कर दी गई है। केंद्र में 29 मई को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. जया अग्रवाल ने पहला सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद चिकित्सकीय जांच में मां और नवजात दोनों स्वस्थ पाए गए। डॉ. जया अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव सुविधा शुरू होने से नवागढ़ और आसपास के क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्हें प्रसव के लिए दूर के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षित प्रसव के दौरान सुपरवाइजर अनिल पांडेय,स्टाफ नर्स,मैदानी कर्मचारी,सेक्टर एमटी और मितानियों का सहयोग रहा।



## एनएच के किनारे नाली में मिला 4.76 किलो गांजा

-संवाददाता-

लखनपुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

थाना लखनपुर पुलिस ने एनएच-130 में ग्राम केवरा के पास डिवाइडर के किनारे नाली से लावारिस हाल में पड़ी एक बोरी से 4 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक संपत पोटाई ने बताया कि मोबाइल पर सूचना मिली थी कि, केवरा से गुजरने वाली एनएच-130 के किनारे डिवाइडर के पास नाली में संदिग्ध अवस्था में बोरी पड़ी है। सूचना दर्ज करके उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया और पुलिस टीम आशुषक दशरथ राजवाड़े और सुरेश गुप्ता के साथ मौके पर पहुंची। बोरी की तलाशी लेने पर 5 अलग-अलग पैकेट में गांजा मिला। मादक पदार्थ की पुष्टि होने पर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। तौल में चारों पैकेट में कुल 4.76 किलो गांजा मिला, इसकी अनुमानित कीमत 47,600 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजा को सीलबंद करके धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।

## बंद मकान का ताला तोड़कर मोबाइल चोरी,24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-

रामानुजगंज,29 अगस्त 2026

(घटती-घटना)।

चौकी तातापानी पुलिस ने बंद मकान का ताला तोड़कर मोबाइल व चार्जर चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया मोबाइल और चार्जर बरामद कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार,तातापानी निवासी मनदीप कुमार मिंज (37) 28 अगस्त की रात करीब 8 बजे मोबाइल चार्ज में लगाकर परिवार के साथ बाजार गए थे। कुछ देर बाद वापस लौटने पर उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से निकलकर भागते देखा। घर के अंदर जाकर जांच करने पर चार्ज में लगा मोबाइल और चार्जर गायब मिला। शिकायत पर चौकी तातापानी पुलिस ने अपराध क्रमांक: 155/2026, धारा 305(क) एवं 331(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संदिग्ध के आधार पर पुलिस ने संतोष राम (35), निवासी ग्राम बुलगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा चोरी करना स्वीकार किए जाने के बाद उसकी निशानदेही पर मोबाइल और चार्जर बरामद कर लिया गया।



# एनएच-343 की बدهाली पर कांग्रेस का हल्लाबोल

## 3 सितंबर को सड़क पर लगेगा 'बेशर्मी का पौधा'

### गड्डे,कीचड़ और धूल से परेशान जनता के मुद्दे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर करेगी प्रदर्शन

-संवाददाता-

राजपुर/बलरामपुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राजपुर क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले एनएच-343 की बدهाल स्थिति को लेकर अब सियासी विरोध तेज होने वाला है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर ने सड़क की जर्जर हालत के विरोध में 3 सितंबर को उग्र प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान सड़क के गड्डों में 'बेशर्मी का पौधा' लगाकर शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेताओं द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निर्माणधीन एनएच-343 लंबे समय से गड्डों,कीचड़ और धूल की समस्या से जूझ रहा है। बारिश में गड्डों में पानी और कीचड़ भरने से आवागमन मुश्किल हो जाता है,वहीं मौसम साफ होने पर उड़ती धूल राहगीरों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है।



**गड्डों से बचने में हादसों का खतरा** : कांग्रेस का आरोप है कि सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्डों से बचने के दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और यात्रा का

समय बढ़ने से स्थानीय व्यापार एवं आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है।

**विकास का पौधा नहीं उगा तो लगाएंगे बेशर्मी का पौधा** : कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्षों से सड़क की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से गड्डों में

## जिला अस्पताल से चोरी मोटरसाइकिल के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

## पहले पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर बरामद हुई थी होंडा शाइन,अब दूसरे आरोपी तक पहुंची मणिपुर पुलिस

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मणिपुर पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले में एक आरोपी समीर अंसारी उर्फ गजनी को पहले ही गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी थी। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मामले में शामिल इरफान उर्फ धनू अंसारी (30), निवासी मोमिनपुर, अम्बिकापुर को गिरफ्तार किया है।

**रात की इट्टी के दौरान चोरी हुई थी बाइक** : पुलिस के मुताबिक बाबूपारा निवासी गंगा



प्रसाद बंजारे 10 जुलाई की रात इट्टी के लिए अपनी होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक CG-09-JE-7588 लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बाइक अस्पताल परिसर में शोड के नीचे खड़ी की थी। इट्टी खत्म होने के बाद लौटते तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश के बावजूद पता नहीं चलने

पर उन्होंने 13 जुलाई को थाना मणिपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पहले समीर अंसारी उर्फ गजनी को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर उसे

न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

**साथी की तलाश में जुटी थी पुलिस** : मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इरफान उर्फ धनू अंसारी को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने पूर्व में गिरफ्तार समीर उर्फ गजनी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को आदतन अपराधी बताते हुए उसके पूर्व आपराधिक गतिविधियों की भी जानकारी जुटाने की बात कही है।

## ड्रंक एंड ड्राइव में पिकअप चालक पर 10 हजार जुर्माना

रतार के नशे में वाहन चलाते पकड़ गया चालक,कोर्ट ने किया दंडित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात शाखा की टीम ने शराब के नशे में पिकअप चलाते पकड़े गए चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में पेश किया, जहां चालक पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान पिकअप क्रमांक CG-16-CQ-5493 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक

ने अपना नाम कैलाश सिंह आयाम (45), निवासी रामानुजगंज, जिला सूरजपुर बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने की आशंका पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें शराब का सेवन कर वाहन चालना पाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में वाहन चालना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है।

# सर्व समाज के सहयोग से पंडो समाज के अरविंद का एमबीबीएस में दाखिला

## नीट में सफलता के बाद फीस की रकम पड़ी कम,लोगों ने जुटाए 67,900 रुपए

-संवाददाता-

बलरामपुर-रामानुजगंज,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय के होनहार छात्र अरविंद कुमार पंडो ने विराटो परिस्थितियों के बावजूद नीट सफलता हासिल कर एमबीबीएस में प्रवेश लिया है। ग्राम चुनापाथर, विकासखंड रामचंद्रपुर निवासी अरविंद का चयन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पं. जवाहरलाल नेहरू, रायपुर में हुआ है। वे अपने परिवार में डॉक्टर बनने वाले पहले सदस्य होंगे। अरविंद के पिता रमेश पंडो कृषि और दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अरविंद ने बिना कोचिंग और सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल



किया। चयन के बाद प्रवेश शुल्क की व्यवस्था परिवार के सामने बड़ी चुनौती बन गई। 29 अगस्त को प्रवेश की अंतिम तिथि थी और करीब 40 हजार रुपए की कमी पड़ रही थी।

# संस्कृत गीतों से गूंजा सैनिक स्कूल,कैडेटों ने तकनीक से जोड़ा प्राचीन ज्ञान

## संस्कृत दिवस पर गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन,कैडेटों ने तैयार किया 3000 से अधिक शैक्षिक सामग्री वाला ऐप



-संवाददाता-

अम्बिकापुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

संस्कृत दिवस के अवसर पर सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और कैडेटों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह का मुख्य आकर्षण संस्कृत गीत गायन प्रतियोगिता रही, जिसमें कैडेटों ने संस्कृत के मधुर एवं भावपूर्ण गीत प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एकल गायन प्रतियोगिता में कैडेट अदिति दुबे ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृत शिक्षक सौरभ कुमार जैन के मार्गदर्शन में किया गया।

**कैडेटों की तकनीकी प्रतिभा भी सामने आई** : समारोह में सैनिक स्कूल के

कैडेटों द्वारा विकसित संस्कृत ऐप का भी शुभारंभ किया गया। 'प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ें' की अवधारणा पर तैयार इस ऐप का उद्देश्य संस्कृत को डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सरल, रोचक और सुलभ बनाना है। ऐप निर्माण में कैडेट भूमिक साहू, रिधिमान, आदित्य साहू, रोहित राय एवं कनिष्क मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐप में संस्कृत सीखने और अभ्यास के लिए 3000 से अधिक शैक्षिक सामग्री, 12 प्रमुख अनुभाग और 5 विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

**डिजिटल दौर में संस्कृत को नया मंच** : ऐप का औपचारिक शुभारंभ आर. एल. मिश्रा, प्राचार्य, राजीव कुमार, प्रोफेसर एवं प्राचार्य तथा कर्नल राजेश बैदा द्वारा किया गया। अतिथियों ने कैडेटों की तकनीकी एवं रचनात्मक पहल की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। प्राचार्य आर. एल. मिश्रा ने कहा कि डिजिटल युग में

तकनीक के माध्यम से संस्कृत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। कैडेटों द्वारा तैयार ऐप भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय का बेहतर उदाहरण है। संस्कृत शिक्षक सौरभ कुमार जैन ने कहा कि पहल का उद्देश्य संस्कृत को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों के लिए सरल, सहज, रुचिकर और तकनीक-अनुकूल बनाना है।

कैडेटों को पहल यह भी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में अभिनव समाधान विकसित कर सकते हैं। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की यह पहल संस्कृत भाषा को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से रई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के रूप में सामने आई है।

हिंदी भाषण प्रतियोगिता में गुंजी कैडेट्स की प्रभावी आव्रज

## कनिष्ठ वर्ग में अरिहंत हाउस और वरिष्ठ वर्ग में कटारी हाउस ने हासिल किया प्रथम स्थान



हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में कैडेट्स के लिए हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य कैडेट्स में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनके आत्मविश्वास, वाक्-कौशल और प्रभावी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना रहा। प्रतियोगिता में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। कैडेट्स ने भाषा की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, प्रस्तुतीकरण और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणाम में कनिष्ठ वर्ग में अरिहंत हाउस तथा वरिष्ठ वर्ग में कटारी हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विद्यालय से बाहर से आमंत्रित अतिथियों ने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए कैडेट्स के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बैदा ने विजेता हाउसों सहित सभी प्रतिभागी कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने अरिहंत हाउस के हाउस मास्टर सौरभ कुमार जैन एवं मनोज कुमार त्रिपाठी को विशेष रूप से बधाई देते हुए कैडेट्स की तैयारी और मार्गदर्शन की सराहना की। प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगियाएं कैडेट्स में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, भाषायी दक्षता और प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

# गोहड़ारी नदी का क्षतिग्रस्त पुल बना मुसीबत... मरम्मत का इंतजार,50 से अधिक पंचायते प्रभावित

**8-10 दिन बाद भी काम शुरू नहीं,83 पंचायतों के हजारों लोग प्रभावित 350-400 स्कूली बच्चे रोजाना 500 मीटर पैदल चलकर बदल रहे बस**

-राजन पाण्डेय-

एमसीबी,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले जनकपुर-शहडोल मुख्य मार्ग पर गोहड़ारी नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद क्षेत्रवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है,20 अगस्त को बारिश के दौरान पुल को नुकसान पहुंचने के बाद करीब 8-10 दिन बीत चुके हैं,लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है, आवागमन बाधित होने से ग्रामीणों,स्कूली बच्चों, व्यापारियों और मरीजों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

**पुल की मरम्मत में देरी से उठे विभागीय व्यवस्था पर सवाल-**पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी सुरक्षा और मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं,मानसून के दौरान नदी-पुलों की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर तकनीकी निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव कितना प्रभावी ढंग से किया जाता है,यह भी जांच का विषय बन गया है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि पुल की स्थिति का समय रहते निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव किया गया होता तो नुकसान को कम किया जा सकता था,अब पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत के लिए बजट, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है,जबकि आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

**90 फीसदी कारोबार शहडोल से जुड़ा, व्यापार पर पड़ा सीधा असर-** गोहड़ारी पुल बंद होने का असर केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय व्यापार भी इसकी चपेट में आ गया है, चांगभवाख क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत कारोबार मध्य प्रदेश के शहडोल और आसपास के बाजारों से जुड़ा बताया जाता है, ऐसे में यह पुल दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक

**20 की जगह 47 किलोमीटर का सफर,27 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी**

पुल बंद होने के बाद प्रशासन ने वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है,जनकपुर से बहरासी, कुवारापुर होते हुए चांटी बैरियर तक जाने वाले इस मार्ग से यात्रियों और वाहन चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है,पहले जनकपुर से चांटी बैरियर की दूरी करीब 20 किलोमीटर थी, जबकि वैकल्पिक मार्ग से यह दूरी लगभग 47 किलोमीटर हो गई है,यानी एक तरफ की यात्रा में करीब 27 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। इससे ईंधन खर्च बढ़ने के साथ समय की भी भारी बर्बादी हो रही है।

**350-400 बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित**

पुल पर आवागमन बाधित होने का सबसे गंभीर असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है,प्रतिदिन करीब 350 से 400 स्कूली बच्चे इस मार्ग से आवागमन करते हैं, बसों पुल के दोनों ओर आगे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में बच्चों और अन्य यात्रियों को एक तरफ बस से उतरकर करीब 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है और दूसरी ओर पहुंचकर दूसरी बस पकड़नी पड़ती है,बारिश के मौसम में यह व्यवस्था बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा कर रही है।

संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी है,भारी वाहनों के आवागमन पर रोक के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति और व्यापारियों के माल की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण व्यापारियों की चिंता और बढ़ गई है।

**इलाज के लिए मध्य प्रदेश पर निर्भर आबादी की बड़ी मुश्किल-**क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पुल बंद होने का असर पड़ा है, स्थानीय स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र की करीब 85-90 प्रतिशत आबादी उपचार के लिए शहडोल, रीवा,जबलपुर और कटनी जैसे मध्य प्रदेश के शहरों पर निर्भर बताई जाती है, ऐसे में पुल बंद होने और वैकल्पिक मार्ग से लंबी दूरी तय करने की स्थिति में गंभीर मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। आपात स्थिति में अतिरिक्त दूरी और समय किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

**कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरा-** ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह

ने पुल की मरम्मत में हो रही देरी को प्रशासनिक नाकामी बताया,उनका कहना है कि एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है,त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का संपर्क प्रभावित है। उन्होंने कहा कि यदि दोबारा तेज बारिश हुई तो क्षतिग्रस्त ढांचा और गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है।

**नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने बताई जमीनी स्थिति-** नगर पंचायत उपाध्यक्ष नीलेश मिश्रा के अनुसार तेज बाढ़ के दौरान पुल का बैरिकेड टूट गया और पुल के पाए को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह से चर्चा की गई है, वहीं पी डब्लू डी के स्लब ने जलस्तर कम होने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किए जाने की बात कही है। **पीडब्लूडी: रिपोर्ट और एस्टीमेट भेजा, स्वीकृति का इंतजार-**पीडब्लूडी एसडीओ राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि क्षतिग्रस्त पुल की रिपोर्ट और एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, बजट की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा।



## एक नजर में स्थिति

- प्रभावित ग्राम पंचायतें: 83
- प्रभावित आश्रित गांव: 181
- प्रभावित आबादी: 88,750
- पुल के दूसरी ओर प्रभावित पंचायतें: 8
- इन पंचायतों की आबादी: 8,116
- स्कूली बच्चे: करीब 350-400 प्रतिदिन
- पैदल अतिरिक्त दूरी: करीब 500 मीटर
- पुराना मार्ग: करीब 20 किमी
- वैकल्पिक मार्ग: करीब 47 किमी
- अतिरिक्त दूरी: करीब 27 किमी
- स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश पर निर्भरता: करीब 85-90 प्रतिशत आबादी
- भारी वाहनों पर प्रतिबंध: 20 सितंबर 2026 तक
- उल्लंघन पर प्रस्तावित जुर्माना: 2,500 से 12,500

## सवाल अब सिर्फ मरम्मत का नहीं...

गोहड़ारी नदी का पुल फिलहाल केवल एक क्षतिग्रस्त संरचना नहीं, बल्कि 83 ग्राम पंचायतों, हजारों ग्रामीणों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और मरीजों के आवागमन से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, ऐसे में सवाल यह है कि मरम्मत की स्वीकृति की प्रक्रिया कब पूरी होगी और वास्तविक काम कब शुरू होगा। बारिश के बीच हर गुजरता दिन स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है।



## दर्दनाक सड़क हादसे में बॉक्सआइट श्रमिक संघ के महामंत्री लक्ष्मण यादव की मौत

**पुरानपानी में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार,सामरी क्षेत्र में शोक की लहर**

-संवाददाता-

पुरानपानी/कुसमी,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के कुसमी अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरानपानी में शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बॉक्सआइट श्रमिक संघ (सामरी) के महामंत्री लक्ष्मण यादव की असमय मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही सामरी क्षेत्र सहित श्रमिक संगठनों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मण यादव अपनी कार क्रमक्रं छत 04 ह्यू 8071 से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पुरानपानी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लक्ष्मण यादव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।



लक्ष्मण यादव श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते थे। उनके अचानक निधन से बॉक्सआइट श्रमिक संगठन और उनसे जुड़े लोगों में गहरा दुख है। सहकर्मियों एवं क्षेत्रवासियों ने उनके निधन को संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। परिजनों और शुभचिंतकों ने दिवांगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना की है।

**उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अखिल भारतीय फिडे रेडेट शतरंज प्रतियोगिता का किया शुभारंभ**



**जशपुरनगर,29 अगस्त 2026।** जशपुर में पहली बार 'चेकमेट एट जशपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेडेट शतरंज प्रतियोगिता 2026' का आयोजन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रशासन एवं खेल विभाग तथा जशपुर जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में देशभर के 12 राज्यों के 175 खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्रीयोगेश बापट, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्षअरविन्द भगत,जशपुर जनपद पंचायत अध्यक्षगंगा राम भगत कलेक्टररोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमैद सिंह, नगर पालिका अधिकारियोगेश्वर उपाध्याय अन्य जनप्रतिनिधिगण और खिलाड़ी कोच बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आज भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के ज़ादूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है की प्रकृति के बीच बसा जशपुर सुंदर वादियों में स्व. दिलिप सिंह जुदेव की जन्मस्थली में अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शतरंज परम्परा और संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है। शतरंज हमें जीवन जीने की जीने की कला सिखाती है। जीवन में धैर्य रखना कोई कदम आगे बढ़ाने से पहले सोचना और निर्णय लेने की सीख शतरंज हमें सिखाती है। कठिन समय में धैर्य न खोना, एकाग्रता बनाए रखना,सोच समझकर आगे चलना और हर चुनौती का सामना करना सिखाती है शतरंज का खेल में 64 खानों और 32 मीहरों में जीवन का सीख छिपा हुआ है।

-संवाददाता-  
कोरिया,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले में अवैध शराब के परिवहन, तस्करी और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से लाई जा रही 99 लीटर अवैध शराब जब्त की है, कार्रवाई में 11 कार्टून में रखे 550 पाव गोवा व्हिस्की बरामद किए गए। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 66 हजार रुपये बताई गई है। कलेक्टर रोहित यादव के निर्देश पर रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ निगरानी बढ़ाई गई है,इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

**'फॉर सेल इन एमपी' अंकित यी रतव**

आबकारी विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान इंद्रप्रताप पिता चन्दन राम, उम्र 34 वर्ष,निवासी ग्राम सांवला,थाना पोड़ी-बचरा



के कब्जे से 11 कार्टून में रखी गोवा व्हिस्की बरामद हुई। प्रत्येक कार्टून में शराब के पाव रखे हुए थे, कुल 550 पाव, जिसकी मात्रा 99 लीटर है, जब्त की गई, बरामद शराब के कार्टून पर 'फॉर सेल इन एमपी' अंकित पाया गया,इससे प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि शराब मध्यप्रदेश से लाई गई थी और उसे जिले में खपाने की कोशिश की जा रही थी, मामले में आबकारी विभाग ने शराब के स्रोत और

इसके परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू की है।

**अधिनियम के तहत मामला दर्ज-** आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),36 एवं 59 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, कार्रवाई के बाद आरोपी को सीजेएम न्यायालय,बैकटपुर के समक्ष मध्यप्रदेश से लाई गई थी और उसे जिले में खपाने की कोशिश की जा रही थी, मामले में आबकारी विभाग ने शराब के स्रोत और

## रक्षाबंधन पर बहनों ने अपचारी बच्चों के साथ बांटी खुशियां सेवा किटी की सदस्यों ने सम्प्रेक्षण गृह व प्लेस ऑफ सेफ्टी पहुंचकर बांधा रक्षासूत्र,बच्चों ने सुनाए गीत-कविताएं...

-संवाददाता-  
अम्बिकापुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सेवा किटी समूह की सदस्यों ने इस वर्ष भी सम्प्रेक्षण गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहे अपचारी बच्चों के साथ समय बिताकर उन्हें अपनत्व और स्नेह का अहसास कराया।

सदस्यों ने बच्चों को रक्षासूत्र बांधकर मिठाई एवं फल वितरित किए। सेवा किटी की संयोजिका एवं सेवानिवृत्त अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह द्वारा विगत 10 वर्षों से लगातार रक्षाबंधन के दिन अपचारी बच्चों के बीच पहुंचकर यह पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन बच्चों को घर-परिवार की याद अधिक आती है, ऐसे में उनके बीच कुछ समय बिताकर उन्हें परिवार जैसा अपनाने और थोड़ी खुशी देने का प्रयास किया जाता है।

कार्यक्रम में लिली बसु रॉय,अतिथी भट्टाचार्य एवं सुनीता दास ने बच्चों का तिलक कर आरती उतारी और रक्षासूत्र बांधा। इस आत्मीय माहौल में कुछ बच्चे भावुक भी हो गए। बाद में सदस्यों ने बच्चों से बातचीत की तो माहौल सामान्य हुआ और बच्चों ने कविता एवं गीत प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई।

**पढ़ाई में भी सहयोग का भरोसा :** कार्यक्रम के दौरान 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी चर्चा हुई। सुनीता दास ने परीक्षा की तैयारी में बच्चों



को अपना समय देने तथा बेहतर परिणाम के लिए मार्गदर्शन करने की सहमति दी। वहीं सेवा किटी की ओर से बच्चों को भविष्य में उच्च शिक्षा एवं कोचिंग के लिए यथासंभव सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही गई।

**सितंबर में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता :** सेवा किटी द्वारा सितंबर माह में संस्था में निवासरत बच्चों के लिए देशभक्ति सामूहिक

गीत प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रतियोगिता में विजेता समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर शगुता परवीन,इलीबा कुजुर सहित सम्प्रेक्षण गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके कठिन समय में स्नेह, सम्मान और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना रहा।

पटना-पोड़ी-बचरा क्षेत्र पर विशेष निगरानी-जिले में अवैध शराब की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है, विशेष रूप से पटना एवं पोड़ी-बचरा क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री ने आबकारी विभाग की नजर है,कलेक्टर ने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाने तथा अवैध गतिविधियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

**त्योहार के मद्देनजर अभियान जारी-** रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर शराब की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए आबकारी विभाग द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, विभाग की टीम अवैध शराब के निर्माण,भंडारण, परिवहन और बिक्री की सूचना पर कार्रवाई कर रही हैं,99 लीटर शराब की इस जल्दी आरोपी को 14 दिवस की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

अंकित शराब की बरामदगी से अंतरराज्यीय शराब तस्करी की आशंका भी सामने आई है, जिसके चलते जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि प्रयास कहाँ से लाई गई और इसे जिले में किन स्थानों पर खपाया जाना था।

## अवैध कारोबारियों को सख्त संदेश

आबकारी विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को सख्त संदेश देने का प्रयास किया गया है,विभाग का कहना है कि जिले में अवैध मदिरा के कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, कलेक्टर के निर्देश के बाद आबकारी विभाग की सक्रियता से जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, अब जांच में यह सामने आना बाकी है कि जब्त शराब के पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है या यह खेप किसी स्थानीय कारोबारी तक पहुंचाई जा रही थी।

## उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 93 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

**तनी सती तालाब 4.30 करोड़ खड़ेक बस स्टैंड 11.99 करोड़ और बलिहट कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख की आवश्ी राशि स्वीकृत**



**जशपुरनगर 29 अगस्त 2026।** उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जशपुर कम्युनिटी हॉल में जिले के विकास कार्य के लिए 93 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया इनमें 86.99 करोड़ रुपए के अमृत मिशन के तहत जल प्रदाय योजना और 7 करोड़ रुपए के गढ़े पानी के शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर के कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार जशपुर के नगर के विकास के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जशपुर के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे,रानी सती तालाब, हाई टेक बस स्टैंड,वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार,सहित अन्य कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविन्द भगत जशपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगा राम भगत,कलेक्टर श्री रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमैद सिंह,मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

# कोरिया से सरगुजा तक सड़कों पर मौत का साया: आवारा मवेशियों का तांडव, व्यवस्था बेबस और जिम्मेदार खामोश

हर कुछ दूरी पर सड़क घेरकर बैठे मवेशी, रात में बड़ जाता है हादसों का खतरा, किसान खेत बचाए या सड़क पर जान?



-राजन पाण्डेय-

**कोरिया/एमसीबी, 29 अगस्त 2026**  
(घटती-घटना)।

कोरिया से लेकर एमसीबी, सूरजपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों पर इन दिनों एक ऐसी समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो या प्रमुख जिला मार्ग, कस्बों को जोड़ने वाली सड़कें हों या ग्रामीण संपर्क मार्ग—कई स्थानों पर आवारा मवेशियों के झुंड सड़क पर बैठे, चलते अथवा अचानक सड़क पार करते दिखाई देते हैं, वाहन चालकों के लिए यह स्थिति लगातार दुर्घटना के खतरे को बढ़ा रही है। सोनहत, घुघरा, कैलाशपुर, कटगोड़ी, नौगढ़, शिवघाट से लेकर पटना, जमगढ़ना, डुमरिया, कलुवा, सूरजपुर, विश्रामपुर और सिलिकली सहित अनेक मार्गों पर स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर मवेशियों को मौजूदगी की समस्या उठाई जाती रही है। कई जगहों पर सड़क किनारे सुरक्षित पशु-आश्रय अथवा व्यवस्थित रोकथाम की व्यवस्था नहीं होने से मवेशी दिनभर सड़कों और रात में सड़क के बीचोंबीच बैठे नजर आते हैं।

**दिन में खतरा, रात में स्थिति और गंभीर**

दिन के समय वाहन चालक किसी तरह सड़क पर बैठे मवेशियों को देखकर वाहन नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन रात में यही समस्या बेहद खतरनाक रूप ले लेती है। अंधेरे में काले या गहरे रंग के मवेशी सड़क पर बैठे होने के कारण अचानक सामने दिखाई देते हैं, तेज रफ्तार वाहन चालक को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, विशेषकर दोगहिया वाहन चालक, बाइक सवार, ऑटो और छोटे चारपहिया वाहन अधिक जोखिम में रहते हैं। मवेशी को बचाने के प्रयास में वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाता है या दिशा बदलता है तो सामने से आने वाले वाहन से टक्कर की आशंका भी बढ़ जाती है, सवाल यह है कि जिस सड़क पर वाहन चालकों से

यातायात नियमों का पालन करने और गति नियंत्रित रखने की अपेक्षा की जाती है, उसी सड़क को यदि मवेशियों के झुंड घेर लें तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी?

**एक मवेशी नहीं, पूरा झुंड वन रख दुर्घटना का कारण**

समस्या केवल एक-दो आवारा पशुओं तक सीमित नहीं है, कई स्थानों पर मवेशी झुंड के रूप में सड़क पर दिखाई देते हैं, एक मवेशी सड़क पार करता है तो उसके पीछे कई अन्य पशु भी अचानक सड़क पार करने लगते हैं, वाहन चालक एक पशु को बचाने की कोशिश करता है और उसी दौरान दूसरा पशु सामने आ जाता है। यही स्थिति रात के समय और अधिक भयावह हो जाती है, कई बार सड़क के बीच बैठे मवेशी वाहन की रोशनी पड़ने पर अचानक उठकर दौड़ने लगते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है।

**कागजों में योजनाएं, जमीन पर सड़क ही बना पशुओं का ठिकाना**

छत्तीसगढ़ में बेसहारा पशुओं के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई गईं, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में गौठान योजना को बड़े स्तर पर लागू किया गया। बाद में व्यवस्था में बदलाव के साथ पशुओं के लिए प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था और गौधाम जैसी अवधारणाओं की चर्चा भी सामने आई, लेकिन जमीनी सवाल आज भी वही है—सड़क पर घूम रहे इन मवेशियों के लिए वर्तमान में क्या आश्रय उपलब्ध है तो मवेशी सड़कों तक क्यों पहुंच रहे हैं? यदि व्यवस्था है तो उसका संचालन और निगरानी कौन कर रहा है? और यदि व्यवस्था नहीं है तो जिम्मेदार विभाग इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं?

**पशु मालिकों की जवाबदेही भी तय हो-** हर आवारा मवेशी बेसहारा है, ऐसा मान लेना भी समस्या का एक पक्ष छिपा देता है,



**किसान की फसल भी खतरे में, सड़क भी...**

आवारा मवेशियों की समस्या का सबसे बड़ा असर केवल सड़क सुरक्षा पर नहीं पड़ रहा, इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर भी पड़ रहा है, दिन के समय यही मवेशी खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान महंगे बीज, खाद, दवाइयां और डीजल का खर्च उठाकर फसल तैयार करता है, लेकिन आवारा पशुओं का झुंड कुछ ही घंटों में उसकी मेहनत पर पानी फेर सकता है।

**किसान के सामने दोहरी परेशानी है... खेत में फसल बचाए या सड़क पर पशुओं को रोकने की व्यवस्था करे?**

छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह समस्या और गंभीर है, क्योंकि फसल का नुकसान सीधे उनकी आय और परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे पशु भी होते हैं जिन्हें उनके मालिक दूध देने अथवा उपयोगी रहने तक रखते हैं और बाद में खुले में छोड़ देते हैं, ऐसे पशुओं की पहचान, टैगिंग और मालिकों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए। यदि किसी पशु का मालिक निर्धारित किया जा सकता है तो उसे खुले में छोड़ने की स्थिति में जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था पर गंभीरता से अमल होना चाहिए।

**पंचायत से लेकर नगरीय निकाय तक जवाबदेही जरूरी-** यह समस्या किसी एक विभाग के भरोसे हल होने वाली नहीं है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, पशुपालन विभाग, राजस्व प्रशासन, पुलिस और सड़क से संबंधित

विभागों के बीच समन्वित व्यवस्था की आवश्यकता है।

**प्रत्येक प्रमुख मार्ग के लिए यह तय होना चाहिए कि—**

- सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को कौन पकड़ेगा?
- उन्हें कहाँ रखा जाएगा?
- पशु-आश्रय की क्षमता कितनी है?
- चारों ओर पानी की व्यवस्था कौन करेगा?
- पशुओं की टैगिंग और रिकॉर्ड कौन रखेगा?
- पशु मालिकों की पहचान कैसे होगी?
- दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी संकेत कौन लगाएगा?
- रात में सड़क से मवेशियों को हटाने की

स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जाता?

**क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है?**— मवेशियों की भी जान जा रही है, यह समस्या केवल इसानों की सुरक्षा से जुड़ी नहीं है, सड़क पर बैठे मवेशी भी तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर घायल या मृत हो जाते हैं, कई बार दुर्घटना में वाहन चालक और पशु दोनों को नुकसान होता है, इसलिए यह मुद्दा मानवीय सुरक्षा, पशु संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था—तीनों से जुड़ा हुआ है।

**सरकार को चाहिए लंबी अवधि की ठोस नीति—**सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए केवल अभियान चलाकर समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है, इसके लिए गांव स्तर पर पशु-आश्रय, पर्याप्त चारा-पानी, पशु चिकित्सा सुविधा, टैगिंग, मालिकों की जवाबदेही और नियमित निगरानी की एकीकृत व्यवस्था जरूरी है, साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि जिले में पशुओं के लिए कितने आश्रय केंद्र संचालित हैं, उनकी क्षमता कितनी है और वर्तमान में कितने पशु वहां रखे गए हैं।

**सबसे बड़ा सवाल— जवाबदेही किसकी?**—कोरिया से लेकर सरगुजा तक यदि प्रमुख सड़कों पर लगातार आवारा मवेशियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं तो यह केवल पशुओं की समस्या नहीं है। यह प्रशासनिक निगरानी, सड़क सुरक्षा और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है, आम नागरिक से यातायात नियमों के पालन की अपेक्षा बिल्कुल जायज है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षित सड़क उपलब्ध कराना भी शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है, आज जरूरत इस बात की है कि प्रशासन सड़क किनारे लगे किसी बोर्ड या कागजी आदेश तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर उतरकर समस्या का स्थायी समाधान करे, क्योंकि सड़क पर बैठे एक मवेशी सिर्फ एक पशु नहीं—किसी परिवार के लिए अचानक आने वाली त्रासदी का कारण बन सकता है, कोरिया से सरगुजा तक जनता का सवाल सीधा है... क्या प्रशासन हादसे के बाद जागृता या हादसा होने से पहले सड़कों को सुरक्षित करेगा?

**सूरजपुर की बेटी सोनिका राजवाड़े को मिलेगा**

**इस वर्ष का शहीद कौशल यादव सम्मान**

**3000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन से बनाई पहचान**

—संवाददाता—

**सूरजपुर, 29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।**

जिले के खेल जगत के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि नगर पंचायत प्रेमनगर की होनहार एथलेटिक्स सोनिका राजवाड़े, पिता भूपेंद्र राजवाड़े, का चयन एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित शहीद कौशल यादव सम्मान 2025-26 के लिए किया गया है, सोनिका की इस उपलब्धि से सूरजपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में खुशी का माहौल है। खास बात यह है कि सोनिका राजवाड़े सरगुजा संभाग से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित होने वाली जिले की पहली खिलाड़ी बनने जा रही हैं, उनकी इस उपलब्धि ने जिले के खेल जगत को नई पहचान दिलाने के साथ ही क्षेत्र की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए भी उम्मीद और प्रेरणा की नई किरण जगाई है, इस सम्मान में सोनिका को छत्तीसगढ़ शासन से डेढ़ लाख रुपये नगद व प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।



**सूरजपुर से शुरू हुआ सफर, अब भोपाल में जारी है प्रशिक्षण—** सोनिका ने अपने खेल करियर के महत्वपूर्ण दौर में करीब ढाई वर्षों तक जिला एथलेटिक्स संघ सूरजपुर में 3000 मीटर दौड़ का नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया, इस दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारा, जिला एथलेटिक्स संघ सूरजपुर के अध्यक्ष एवं कोच नरेश कुमार कुशवाहा तथा अश्लेश राजवाड़े के मार्गदर्शन में सोनिका ने प्रशिक्षण लेकर अपनी दौड़ में लगातार सुधार किया, मैदान पर उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम रहा कि उन्होंने 3000 मीटर दौड़ में अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की।

**छोटे शहर की बेटी, बड़े सपनों की उड़ान—** सोनिका राजवाड़े की सफलता केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सूरजपुर और पूरे सरगुजा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश है, उन्होंने साबित किया है कि छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों से निकलने वाली प्रतिभाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की पूरी क्षमता है, जरूरत है तो सही मार्गदर्शन, बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासन और निरंतर मेहनत की, सोनिका की उपलब्धि जिले के उन बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

**प्रतिभाओं को मंच देना जिला एथलेटिक्स संघ का लक्ष्य—** जिला एथलेटिक्स संघ सूरजपुर का उद्देश्य जिले की अधिक से अधिक खेल प्रतिभाओं को एथलेटिक्स से जोड़ना तथा उन्हें नियमित प्रशिक्षण, उचित मार्गदर्शन और प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है।

**टीएमसी पांडोपारा/झिलमिली साइड के स्टोर में 50 लाख की चोरी का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार**

## कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: करीब 40 लाख रुपये के चोरी गए धातु के पार्ट्स बरामद, तीन कट्टे, टॉर्च, मोबाइल और नकदी भी जब्त; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

—संवाददाता—

**कोरिया, 29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।**

थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत टीएमसी पांडोपारा/झिलमिली साइड के स्टोर में हुई करीब 50 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से चोरी किए गए सामान में से करीब 40 लाख रुपये कीमत के तांबा, पीतल और कांसा धातु से निर्मित मशीनरी पार्ट्स बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं, वहीं चोरी में शामिल अन्य आरोपियों की पतासाजी और शेष चोरी गए माल की बरामदगी के लिए विवेचना जारी है। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार घटना 22 अगस्त 2026 की रात करीब 1:34 बजे थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत पांडोपारा स्थित टीएमसी कंपनी के झिलमिली साइड स्टोर में हुई थी, स्टोर में कोयला खनन कार्य में उपयोग होने वाली मशीनों के विभिन्न पार्ट्स रखे हुए थे, चोरों ने स्टोर को निशाना बनाते हुए बड़ी मात्रा में तांबा, पीतल एवं कांसा धातु से निर्मित मशीनरी पार्ट्स पार कर दिए थे, चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई थी।

**24 अगस्त को दर्ज हुई थी शिकायत—** घटना के संबंध में परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत श्यामल मैती, पिता अभिमन्यु मैती, उम्र 38 वर्ष, निवासी एमपी नगर बेकुंठपुर ने 24 अगस्त 2026 को थाना पटना में शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत के आधार पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 228/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशा सेन और राजेश साहू के मार्गदर्शन में थाना पटना एवं साइबर सेल की टीम को आरोपियों की पतासाजी और चोरी गए माल की बरामदगी के लिए लगाया गया।

**पूछताछ में सामने आया 9-10 लोगों का गिरोह—** पुलिस के मुताबिक मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सिद्धिर्धों की पहचान कर उन्हें पकड़कर



**चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार मामले में गिरफ्तार आरोपियों में...**

- किशन कुमार, पिता राजेन्द्र, उम्र 24 वर्ष
- मंगलराम उर्फ गोलू, पिता स्वर्गीय जनक, उम्र 24 वर्ष
- करण, पिता चंद्रसाद बसोर, उम्र 24 वर्ष
- अब्दुल वासिम उर्फ गोलू मियां, पिता अब्दुल कमाल, उम्र 30 वर्ष शामिल हैं, पुलिस ने चारों आरोपियों को 27 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

**कबाड़ी तक पहुंचा चोरी का माल**

पुलिस की जांच में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार चोरी के बाद आरोपियों ने माल को अलग-अलग स्थानों पर छिपाया और बाद में उसे बेचने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कबाड़ी के कब्जे से भी चोरी किए गए धातु के पार्ट्स बरामद किए हैं, इससे पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी के माल को खरीदने और खपाने में कितने लोग शामिल थे, चोरी के सामान की बिक्री से जुड़े लोगों की भूमिका भी विवेचना के दायरे में है।

**पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका—** पुलिस के अनुसार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी और चोरी के माल की बरामदगी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, एसडीओपी आशा सेन, राजेश साहू तथा थाना प्रभारी प्रमोद पाण्डेय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, साइबर सेल की टीम प्रभारी निरीक्षक अमोल खलखो सहित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तकनीकी जानकारी और पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सहायता किया।

**शेष माल और अन्य आरोपियों की तलाश जारी—** पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए आधे से अधिक माल की बरामदगी की जा चुकी है, जबकि चोरी गए शेष सामान और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में मशीनरी पार्ट्स की चोरी की योजना किसने बनाई और चोरी के बाद माल को खपाने में कौन-कौन लोग शामिल रहे, 50 लाख रुपये की चोरी में करीब 40 लाख रुपये का माल बरामद होना पुलिस की कार्रवाई की बड़ी सफलता मानी जा रही है, हालांकि मामले की पूरी तस्वीर तब सामने आएगी, जब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, शेष माल की बरामदगी और चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी।

लिए सड़क पर आवाजाही बंद कर दी। सूचना मिलते ही जुनापुरावासी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन स्थिति को संभाला। पुलिस ने भीड़जीव हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कारवाई की और पोस्टमॉर्टम के लिए मृतकों को भेज दिया। मृतकों के पास तत्काल पहचान से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस आसपास के गांवों में संपर्क कर मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

## CMYK



नियम, योग्यता, प्रशिक्षण और DPC की प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल, विभाग से मांगा गया पूरा रिकॉर्ड

# नमूना सहायक से FSO पदोन्नति पर दीपक अग्रवाल से सीधा सवाल... प्रावधान है तो Rule 2.1.3 की पूरी पात्रता और प्रशिक्षण का परीक्षण दिखाइए?

## दीपक अग्रवाल से सवाल....यदि नियम है तो दिखाइए और नमूना सहायक से FSO पदोन्नति का वैधानिक आधार क्या,Rule 2.1.3 की कसौटी पर हुई थी जांच?

दीपक अग्रवाल से सवाल-पदोन्नति आदेश के साथ पात्रता,अनिवार्य प्रशिक्षण और नियमों के अनुपालन का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक हो...

- 6 मई को बदला नियम,11 अगस्त को 13 पदोन्नतियां—खाद्य विभाग में इतिफाक या पहले से तैयार था रास्ता ?
- खाद्य विभाग में पदोन्नति का खेल ? 6 मई की अधिसूचना और 11 अगस्त के आदेश ने बढ़ाई हलचल...
- 10 से 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा, फिर 13 नमूना सहायक बने खाद्य सुरक्षा अधिकारी—नियमों पर सवाल...
- पदोन्नति से पहले बदला नियम या नियम के बाद मिली राह ? 6 मई और 11 अगस्त के आदेश आमने-सामने...
- 13 पदोन्नतियों ने खोली खाद्य विभाग की फाइल : नियम,योग्यता और डीपीसी पर उठे सवाल...

—न्यूज डेस्क—

**रायपुर,29 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।** दैनिक घटती-घटना की मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जुड़े कई मामले की पड़ताल सामने आई है, जिसमें सरकारी सेवा की सामान्य पदोन्नति प्रक्रिया से कहीं अधिक बड़े सवाल छिपे दिखाई दे रहे हैं,मामला 11 अगस्त 2026 को जारी उस आदेश का है,जिसके माध्यम से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया,उपलब्ध दस्तावेज में इन कर्मचारियों को अलग-अलग जिलों में पदस्थ करने का उल्लेख है और पदोन्नति के साथ वेतन स्तर में भी बदलाव दर्ज है।

पहली नजर में यह विभागीय कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति का मामला लग सकता है, लेकिन जब इसके साथ 6 मई को पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव की चर्चा,14 मई को 30 नमूना सहायकों की सीधी भर्ती का विज्ञापन और 11 अगस्त को उन्हीं संवर्ग के 13 कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने की घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है,तब कई सवाल स्वतः सामने आते हैं,सबसे अहम सवाल है की क्या नमूना सहायक संवर्ग को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति का स्पष्ट वैधानिक रास्ता पहले से उपलब्ध था? यदि था तो उसकी मूल नियमावली कहाँ है? और यदि पदोन्नति कोटा 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत किया गया था,तो उस बदलाव की अधिसूचना,राजपत्र और प्रभावी तिथि क्या है? इन सवालों का जवाब आरोपों से नहीं,बल्कि नियमों,अधिसूचनाओं,नोटशीट और विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही से ही मिल सकता है, मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि Food Safety Officer (FSO) सामान्य प्रशासनिक पद नहीं है, यह Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत कार्य करने वाला नियामकीय पद है, अधिनियम की धारा 37 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अधिसूचना के माध्यम से की जाती है,FSSAI के नियमों में भी इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की अनिवार्य बताया गया है,यहाँ से विवाद का मूल सवाल सामने आता है—क्या विभागीय पदोन्नति के लिए राज्य के सेवा नियमों का पालन भर पर्याप्त है या पदोन्नत व्यक्ति को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और उसके अधीन बने नियमों की प्रत्येक अनिवार्य शर्त भी पूरी करनी होगी?

### 11 अगस्त का आदेश बना विवाद की नई वजह

उपलब्ध पदोन्नति आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया,आदेश में पदोन्नति के साथ नई पदस्थापना और वेतनमान का भी उल्लेख है,सार्वजनिक रिपोर्टों में इन 13 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं और पदोन्नति के बाद उन्हें अलग-अलग जिलों में पदस्थ किए जाने की जानकारी दी गई है,पदोन्नति के बाद

वेतन संरचना में भी परिवर्तन बताया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार नमूना सहायक के पद पर ग्रेड पे 1900 रुपये था,जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 2800 रुपये बताया गया है,इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 13 कर्मचारियों को पदोन्नति क्यों दी गई, असली सवाल यह है कि डीपीसी ने किस नियम, किस पात्रता,किस सेवा अवधि और किस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को पात्र माना?

### 6 मई से 11 अगस्त तक का घटनाक्रम क्यों बना चर्चा का विषय?

इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए घटनाक्रम की तारीखों को अलग-अलग देखना जरूरी है, उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री में पदोन्नति कोटे को लेकर यह सवाल सामने आया है कि क्या पहले निर्धारित 10 प्रतिशत पदोन्नति हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया,इस बदलाव की प्रमाणित प्रति, राजपत्र अथवा मूल आदेश को लेकर सूचना मांगी गई है,उपलब्ध 11 अगस्त के आदेश में इस कथित संशोधन की मूल अधिसूचना संलग्न नहीं है,इसलिए इसकी पुष्टि मूल शासन आदेश से ही हो सकती है, इसके बाद मई 2026 में नमूना सहायक के 30 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होने की जानकारी सामने आती है,उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस पद के लिए विज्ञान संकाय से हटकर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने की योग्यता तथा चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और मेरिट का प्रावधान था,फिर 11 अगस्त को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 13 नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया गया,यह क्रम अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है,लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि विभाग की मानव संसाधन नीति आखिर क्या है?

### मई में 30 नमूना सहायकों की भर्ती,अगस्त में पदोन्नतियां...नीति क्या कहती है?

विवाद को और दिलचस्प बनाता है विभाग का मानव संसाधन पेटर्न,उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष विभाग ने 30 नमूना सहायक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, इस भर्ती में नमूना सहायक पद के लिए विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण जैसी योग्यता का उल्लेख बताया गया है, दूसरी ओर अगस्त में 13 पुराने नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया गया, यह दोनों प्रक्रियाएँ अपने आप में विरोधाभासी होना जरूरी नहीं हैं,विभाग को एक साथ नए नमूना सहायकों की जरूरत भी हो सकती है और पात्र पुराने कर्मचारियों को पदोन्नति भी दी जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक सवाल जरूर उठता है यदि विभाग को नमूना सहायकों की इतनी आवश्यकता है कि 30 पदों पर सीधी भर्ती करनी पड़ रही है, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की रिक्तियों को भरने की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? क्या FSO पदों पर सीधी भर्ती होगी? कितने पद रिक्त हैं? पदोन्नति से कितने पद भरे गए? और क्या पदोन्नति के बाद भी सीधी भर्ती का निर्धारित हिस्सा सुरक्षित रहेगा?

### 2011 के नियम खोलते हैं विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी...

इस मामले में उपलब्ध छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 को देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है, इन नियमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मूल व्यवस्था में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 10 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान दर्ज है,वहीं Sampling Assistant यानी नमूना सहायक के पद के लिए 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान दिया गया है, इससे यह दावा पूरी तरह सही नहीं होगा कि नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का रास्ता नियमों में था ही नहीं,उपलब्ध 2011 नियमों में ऐसा पदोन्नति चैनल दर्ज है, नियमों के अनुसार Sampling Assistant से Food Safety Officer पद पर पदोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा और B.Sc. Chemistry जैसी पात्रता का उल्लेख है,इसी तरह नमूना सहायक के लिए 12वीं स्तर की शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान भी नियमों में दिखाई देता है,यानी विवाद का सही सवाल यह नहीं है कि 'नमूना सहायक कभी FSO बन ही नहीं सकता था?' बल्कि असली सवाल यह है क्या 11 अगस्त 2026 की 13 पदोन्नतियों में प्रत्येक कर्मचारी ने उस समय लागू सभी शर्तें पूरी की थीं? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यदि 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटा बदलकर 25 प्रतिशत किया गया था, तो यह संशोधन किस अधिसूचना से, किस तारीख से और किन परिस्थितियों में प्रभावी हुआ?

### क्या Food Safety Officer वास्तव में 'वैधानिक पद' है?

यहां शब्दों की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है,Food Safety Officer की भूमिका Food Safety and Standards Act,2006 के अंतर्गत निर्धारित है, अधिनियम की धारा 37 के तहत Commissioner of Food Safety निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को Food Safety Officer नियुक्त करता है और उन्हें संबंधित क्षेत्र सौंपा जाता है। अधिनियम की धारा 38 में FSO की शक्तियां निर्धारित हैं,जबकि धारा 41 में तलाशी, जल्दी और जांच से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है,इसलिए FSO केवल विभागीय पदनाम नहीं है। इस पद पर आने वाला अधिकारी खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है,लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर भी है,नमूना सहायक का पद यदि राज्य सेवा नियमों में विभागीय पद है,तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस पद से FSO की पदोन्नति स्वतः अवैध हो जाएगी,उपलब्ध छत्तीसगढ़ के 2011 सेवा नियम स्वयं Sampling Assistant से Food Safety Officer तक पदोन्नति का चैनल दिखाते हैं,इसलिए विवाद को सही तरीके से देखने के लिए पद की प्रकृति से ज्यादा जरूरी है—पदोन्नति के समय लागू नियम और केंद्रीय कानून की पात्रता का अनुपालन।

केवल डिग्री हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं— Food Safety and Standards Rules, 2011 के Rule 2.1.3 में Food Safety Officer के लिए निर्धारित योग्यता दी गई है,इसमें स्वस्थस Technology,Dairy Technology,Biotechnology, Oil Technology,Agricultural Science,Veterinary Sciences, Biochemistry, Microbiology में डिग्री,Chemistry में Master's Degree या Medicine की डिग्री जैसी योग्यताएं शामिल हैं,इसके साथ निर्धारित प्रशिक्षण भी आवश्यक है,FSSAI ने राज्यों को स्पष्ट किया है कि Rule 2.1.3 में दी गई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है और Food Safety Officer को अधिसूचित किए जाने से पहले निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना भी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 के Chandra Shekhar Singh v. State of Jharkhand मामले में सरूह की योग्यता के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्रीय नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता के क्षेत्र को अपने स्तर पर बदल नहीं सकती,यानी यदि किसी कर्मचारी ने बाद में कोई डिग्री हासिल कर ली है तो केवल डिग्री होना ही पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं बना देता, देखना होगा कि क्या कर्मचारी उस डिग्री के आधार पर Rule 2.1.3 की पात्रता पूरी करता था? क्या आवश्यक प्रशिक्षण पूरा था? क्या पदोन्नति की तारीख पर पात्रता मौजूद थी? और सबसे महत्वपूर्ण क्या धारा 37 के तहत आवश्यक नियुक्ति/अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी की गई?

**क्या क्लर्क या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी डिग्री लेकर FSO बन सकता है?**—यही सवाल इस विवाद का सबसे धारदार हिस्सा है, मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल पद क्लर्क है और वह बाद में M.Sc. Chemistry कर लेता है। क्या केवल इस डिग्री के आधार पर उसे Food Safety Officer बनाया जा सकता है? नहीं—सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं होगी, उसे लागू सेवा नियमों में उस पद से FSO पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का वैध मार्ग, निर्धारित सेवा-अवधि,अन्य पात्रता और केंद्रीय कानून के तहत आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण शर्तें पूरी करनी होंगी,इसी तरह किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा डिग्री प्राप्त कर लेने से वह स्वतः FSO पद का अधिकारी नहीं बन जाएगा, यही कारण है कि 13 पदोन्नत कर्मचारियों की फाइल में मूल पद,नियुक्ति आदेश, सेवा अवधि, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वरिष्ठता,अनुभव, प्रशिक्षण और डीपीसी की अनुशंसा की जांच सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।

**डीपीसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण—**11 अगस्त का आदेश यदि डीपीसी को अनुशंसा पर आधारित है,तो डीपीसी की बैठक की कार्यवाही और नोटशीट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती है, डीपीसी ने प्रत्येक कर्मचारी के मामले में क्या देखा? सेवा अवधि वरिष्ठता, मूल नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, B.Sc. Chemistry या संबंधित पात्रता, प्रशिक्षण, गोपनीय चरित्रावली/सेवा अभिलेख, पदोन्नति कोटे की उपलब्धता, रिक्त पदों की स्थिति, लागू संशोधित नियम,तकनीकी पात्रता का परीक्षण किस अधिकारी या शाखा ने किया?,कितने पद उपलब्ध थे?,क्या कोई आपति या शिकायत प्राप्त हुई? यदि शिकायत थी तो उसका परीक्षण कैसे हुआ? धारा 37 के तहत आवश्यक प्रक्रिया इन सभी बिंदुओं का परीक्षण हुआ या नहीं—यही अब जांच का केंद्र होना चाहिए।

**अब विवाद का केंद्र 'पदोन्नति हुई या नहीं' नहीं, 'कैसे हुई' है—** खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराना है। जिले में Food Safety Officer की भूमिका होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, खाद्य प्रतिष्ठानों, बाजार और खाद्य कारोबारियों की जांच से सीधे जुड़ी है,इसलिए अधिकारी की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी,विभाग की विश्वसनीयता उतनी ही मजबूत होगी, विभाग के पास यह कहने का अधिकार है कि 13 कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों के अनुसार हुई है, लेकिन यदि ऐसा है तो उसे नियम,संशोधन अधिसूचना, डीपीसी की कार्यवाही, पात्रता परीक्षण और प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देना चाहिए,क्योंकि दस्तावेज सामने आते ही कई सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा, दूसरी ओर यदि किसी कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि या प्रशिक्षण में कमी है, तो वह भी जांच में सामने आना चाहिए।

**दैनिक घटती-घटना की मुहिम : सवाल व्यवस्था से है, कर्मचारियों से नहीं—**13 नमूना सहायकों की पदोन्नति अपने आप में विवाद का प्रमाण नहीं है, विवाद का आधार वह प्रक्रिया है जिसके तहत यह पदोन्नति हुई, 6 मई की अधिसूचना से लेकर 11 अगस्त के आदेश तक की पूरी फाइल सामने आनी चाहिए, 2011 के भर्ती नियम बताते हैं कि Sampling Assistant से Food Safety Officer तक पदोन्नति का रास्ता मौजूद था,अब यह जांचना जरूरी है कि 2026 में उस रास्ते पर चलने वालों ने सभी अनिवार्य शर्तें पूरी की या नहीं,केंद्रीय कानून की धारा 37 और Rule 2.1.3 के तहत निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण को दरकिनार कर केवल विभागीय पदोन्नति नियम के आधार पर FSO बनाया जा सकता है या नहीं? यह भी रिकॉर्ड से स्पष्ट होना चाहिए, FSSAI की आधिकारिक व्याख्या शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण को अनिवार्य बताती है, इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या 13 पदोन्नतियां नियमों



के अनुसार हुई है, या नियमों के साथ-साथ प्रत्येक कर्मचारी की वैधानिक पात्रता की भी पूरी जांच हुई है? इस सवाल का जवाब आरोपों से नहीं,6 मई की अधिसूचना,11 अगस्त के पदोन्नति आदेश,मूल भर्ती नियम,संशोधित नियम, डीपीसी की नोटशीट और 13 कर्मचारियों के पात्रता दस्तावेजों से मिलेगा,दैनिक घटती घटना की मुहिम यहीं से आगे बढ़ती है—पदोन्नति पर फैसला नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की दस्तावेजी पड़ताल जारी है,बहुत जल्द और खुलासा होगा।

**16 जनवरी 2023 की अधिसूचना से उठता वैधानिक सवाल—**16 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में Rule 2.1.2 के तहत Designated Officer के पद के लिए Food Safety Officer के रूप में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव को पात्रता में महत्व दिया गया,इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च वैधानिक पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित वैधानिक पद का व्यावहारिक अनुभव महत्वपूर्ण माना गया है,वहीं Rule 2.1.3 में Food Safety Officer के लिए शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नमूना सहायक जैसे किसी अन्य संवर्ग के पद पर कार्य करने का अनुभव FSO पद पर पदोन्नति के लिए स्वतः मान्य है? यदि नमूना सहायक को FSO का फीडर कैडर मानने का स्पष्ट प्रावधान है,तो संबंधित नियम,अधिसूचना और पदोन्नति प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए, मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 91 के तहत नियम बनाने और उनमें संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, ऐसे में राज्य स्तर पर किसी संवर्ग को FSO पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनाने से पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि उसका आधार किस केंद्रीय नियम या विधिवत संशोधन में मौजूद है,सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पूरी होना और वैधानिक रूप से निर्धारित फीडर कैडर का कर्मचारी होना एक ही बात नहीं है, इसलिए नमूना सहायक से FSO पद पर हुई पदोन्नति की वैधानिकता, अनुभव, पात्रता और प्रशिक्षण—इन सभी बिंदुओं की नियमों के आधार पर जांच जरूरी है।

- अब सरकार और विभाग से सीधे 12 सवाल**
- पहला—6 मई 2026 की अधिसूचना में वास्तव में क्या संशोधन किया गया?
  - दूसरा—क्या Food Safety Officer पद पर पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया?
  - तीसरा—यदि हां,तो संशोधन किस तारीख से प्रभावी हुआ?
  - चौथा—क्या 11 अगस्त की पदोन्नति सूची पूरी तरह संशोधित नियम के आधार पर तैयार हुई?
  - पांचवां—13 कर्मचारियों में से प्रत्येक ने 10 वर्ष की आवश्यक सेवा पूरी की थी?
  - छठा—प्रत्येक कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता Rule 2.1.3 से मेल खाती है?
  - सातवां—क्या सभी पदोन्नत कर्मचारियों ने अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया था?
  - आठवां—क्या धारा 37 के तहत उनकी नियुक्ति/अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी हुई?
  - नौवां—डीपीसी की नोटशीट और अनुशंसा में इन बिंदुओं का परीक्षण दर्ज है?
  - दसवां—विभाग में Food Safety Officer के कितने पद स्वीकृत और कितने रिक्त हैं?
  - ग्यारहवां—मई 2026 में 30 नमूना सहायकों की भर्ती और अगस्त में 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति—दोनों प्रक्रियाओं के पीछे मानव संसाधन योजना क्या है?
  - बारहवां—क्या 13 पदोन्नतियों के बाद भी सरूह के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी?